इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन .लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 227]    भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई 2026—श्रावण 1, शक 1948

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2026

क्र. 7034—122—इक्कीस—अ (प्रा.).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 15 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**निशीथ खरे,** अतिरिक्त सचिव.

## MADHYA PRADESH BILL

NO. 15 OF 2026

## THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) BILL, 2026

TABLE OF CONTENTS

**Clauses :**

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 4.
3. Amendment of Section 46.
4. Amendment of Schedule II.

# MADHYA PRADESH BILL

## NO. 15 OF 2026

## THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) BILL, 2026

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy seventh year of the Republic of India as follows:-

**Short title and commencement.**

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vat (Amendment) Act, 2026.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

**Amendment of Section 4.**

2. In sub-section (5) of Section 4 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) (hereinafter referred to as the principal Act), for the word and figure "65 years", the word and figure "67 years" shall be substituted.

**Amendment of Section 46.**

3. In Section 46 of the principal Act, for the sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(3) Where the commissioner considers that any order passed under sub-section (1) by any Appellate Authority, is erroneous, in so far as it is prejudicial to the interest of the revenue, he may, file an appeal against such order before the Appellate Board, within two calendar years from the date of such order.".

**Amendment of Schedule II.**

4. In part II of the Schedule II of principal Act,-

(i) in serial number 10A, in column (2), the bracket, words and figure "(excluding those as specified in Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956)" shall be omitted;

(ii) serial number 10C shall be omitted;

(iii) in serial number 30, in column (2), for the existing entries, the following entry shall be substituted, namely:-

"Petroleum Crude.".

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is proposed to amend certain section of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), for the following purposes,-

(1) to amend the age limit of member of the Board from 65 years to 67 years, in accordance to the age limit provided for other Appellate Tribunals.

(2) to give power to commissioner to file an appeal in the Appellate Board against the order passed by the Appellate Authority within two calendar years from the date of such order.

(3) to make amendment in part II of Schedule II of the said Act in accordance with the omission of Section 14 in the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) in 2017.

2. Hence this Bill.

Bhopal :
Dated, the 19th July, 2026.

JAGDISH DEVDA
*Member-in-charge.*

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2026.

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.


# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 211] भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 जुलाई 2026—आषाढ़ 29, शक 1948


## विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2026

क्र. 12650—गप्रविस—16—विधान—2026.— मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम—64 के उपबन्धों के पालन में मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 15 सन् 2026) जो विधान सभा में दिनांक 20 जुलाई 2026 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

**अरविन्द शर्मा,**
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

**मध्यप्रदेश विधेयक**

क्रमांक १५ सन् २०२६

**मध्यप्रदेश वेट अधिनियम (संशोधन) विधेयक, २०२६**

**विषय-सूची**

**खण्ड :**

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. धारा ४ का संशोधन.

३. धारा ४६ का संशोधन.

४. अनुसूची २ का संशोधन.

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १५ सन् २०२६

## मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०२६

**मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.**

भारत गणराज्य के सतहतरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

**संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०२६ है.

(२) यह संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

**धारा ४ का संशोधन.**

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसके पश्चात मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४ की उपधारा (५) में अंक "६५" के स्थान पर अंक "६७" प्रतिस्थापित किया जाए.

**धारा ४६ का संशोधन.**

३. मूल अधिनियम की धारा ४६ की उपधारा (३) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात,-

"(३) जहाँ आयुक्त का यह विचार है कि किसी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उपधारा (१) के अधीन पारित किया गया कोई आदेश, उस सीमा तक, जहां तक कि वह राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, गलत है, तो वहां वह ऐसे आदेश के विरूद्व अपील बोर्ड के समक्ष अपील, ऐसे आदेश की तारीख से दो कलैण्डर वर्ष के भीतर फाईल कर सकेगा."

**अनुसूची २ का संधोशन**

४. मूल अधिनियम की अनुसूची-२ के भाग दो में,-

(एक) अनुक्रमांक १०क के सामने, कॉलम (२) में, शब्द एवं कोष्टक "(केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ की धारा १४ में यथाविनिर्दिष्ट को छोड़कर)" विलोपित किया जाए;

(दो) प्रविष्ट क्रमांक १०ग विलोपित किया जाए;

(तीन) अनुक्रमांक ३० के सामने, कॉलम (२) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात,- "पेट्रोलियम क्रूड"

---

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

(१) अपील बोर्ड में नियुक्त सदस्यों की आयुसीमा ६५ वर्ष के स्थान पर अन्य अपील प्राधिकरण में दिए गए सदस्यों की आयु की सीमा के अनुरूप ६७ वर्ष किए जाने के लिए;

(२) विभाग के अपीलीय प्राधिकारी के रूप में उपायुक्त द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील बोर्ड के समक्ष अपील दायर करने की शक्ति प्रदान करने एवं किसी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया कोई आदेश, उस सीमा तक, जहां तक कि वह राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, गलत है, तो वहां उस आदेश के विरूद्ध अपील बोर्ड के समक्ष अपील, ऐसे आदेश की तारीख से दो कलैण्डर वर्ष के भीतर फाईल करने के लिये;

(३) केन्द्रीय विक्रय कंर अधिनियम, १९५६ (क्रमांक ७४ सन् १९५६) में वर्ष २०१७ में धारा १४ विलोपित हो जाने के कारण उसके अनुरूप अधिनियम के अनुसूची-दो संशोधन किये जाने के लिए;

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) में यथा आवश्यक संशोधन किया जाना है.

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :<br>
दिनांक : १९ जुलाई, २०२६

**जगदीश देवड़ा**<br>
भारसाधक सदस्य.

---

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित".

**अरविन्द शर्मा**<br>
प्रमुख सचिव,<br>
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.